न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.
	15/3/16 बहस सुनी गई। बहस से आदेश पत्रा. दिनांक 1-4-16 को पेश हो।
	1/4/16 अनुलाप सुना। अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है पत्रावली में निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रा. किया गया।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व अपील सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
02 / 2016	15.02.2016	1.4.16

उनवान

1. रतनलाल पुत्र भगवानिया जाति गूर्जर निवासी सालखर तहसील कोटकासिम जिला अलवर(राज0)

:– अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत बघेरीखुर्द तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0) द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बघेरीखुर्द पं.सं. कोटकासिम जिला अलवर राज0।
2. सरबतीदेवी पत्नी महेन्द्रसिंह जाति गूर्जर निवासी पातूहेडा तहसील बावल जिला रेवाडी हरयाणा।

:–रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध नामान्तकरण सं0 509
ग्राम सालखर निर्णय दिनांक 10.06.2009
द्वारा ग्राम पंचायत बघेरीखुर्द

उपस्थित :–

1. श्री मनोजकुमार अभिभाषक, अपीलान्ट

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा एक अपील व प्रार्थनापत्र दफा 5 मियाद अधिनियम इस न्यायालय में पेश किये । प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार है कि आलोच्य निर्णय ग्राम पंचायत बघेरीखुर्द तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान इन्तकाल सं 509 दिनांक 10.06.2009 ग्राम सालखर जिसकी जानकारी पटवारी हल्का से दिनांक 01.02.2016 को हुई नकल जमाबन्दी व अन्य दस्तावेजात पटवारी से प्राप्त किये तथा रेस्पो0 सं0 1 से सम्पर्क किया जिनके द्वारा पटवारी हल्का को आदेश किये। पटवारी हल्का ने उक्त इंतकाल की बाबत अपनी रिपोर्ट पेश की। जिससे अपील हाजा अन्दर अवधि पेश की गई है। दफा 5 कानूनी मियाद का प्रार्थनापत्र अलग से पेश किया है।

आलोच्य इंतकाल ग्राम पंचायत बघेरीखुर्द द्वारा तस्दीक किया गया है जिससे प्रिज्यूडिस होकर अपील अदालत हाजा में पेश की है मिन अपीलान्ट की कब्जा काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 229/6 रकबा 1.01 हैक्ट0 ग्राम सालखर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 जिसका इस

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

पर पटवारी हल्का द्वारा गलत तौर पर 2/3 हिस्सा में से विक्रय आराजी रकबा 0.38 हैक्ट के दर्ज करने के बजाय अपीलान्ट के पूरा हिस्सा 2/3 का इन्तकाल दर्ज कर दिया। उक्त इंतकाल को रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने बिना किसी प्रकार से कब्जा आदि की जांच किये विधि विरुद्ध तरीके से दिनांक 10.06.2009 को स्वीकार कर दिया। ग्राम पंचायत की आज्ञा काबिल मन्सूख है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर इंतकाल संख्या 509 दिनांक 10.06.2009 बाबत आराजी खसरा संख्या 229/6 रकबा 1.01 हैक्ट0 हाल खसरा संख्या 791/229 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम सालखर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 का मिन अपीलान्ट के अधिकारों के विरुद्ध मन्सूख फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा मुताबिक बेचान रकबा 0.38 है0 तक ही अमल रखा जावे।

मेरे द्वारा अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली में पेश किये दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट ने अपने हिस्से 2/3 भाग में से 0.38 है0 का बेचान जरिये बयनामा किया जानो पाया गया । आलोच्य नामान्तकरण संख्या 509 वाके ग्राम सालखर में पटवारी द्वारा बयनामा के दर्ज नहीं किया जाकर अपीलान्ट के समस्त 2/3 हिस्से का बेचान का नामान्तकरण दर्ज किया। जिसे ग्राम पंचायत द्वारा ज्यों का त्यों तस्दीक किया जाना पाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा बयनामा से जांच करने व मिलान करने का कोई उल्लेख नहीं किया है जो गलत किया गया। बयनामा से अधिक बेचान दर्ज व मन्जूर करने से अपीलान्ट के खातेदारी हकूकों पर कुठाराघात हुआ है। आलोच्य नामान्तकरण पर ग्राम पंचायत की आज्ञा निरस्त योग्य है अपीलान्ट की देरीना अवधि भी क्षमा योग्य है।

आदेश

अपीलान्टान का प्रार्थनापत्र दफा 5 मियाद अधिनियम व अपील स्वीकार किये जाते है। आलोच्य नामा0 सं0 509 पर ग्राम पंचायत की आज्ञा दिनांक 10.06.2009 निरस्त की जाती है। आलोच्य नामा0 में क्रेता के कालम में क्रय किये मुताबिक बयनामा 2/3 हिस्से के स्थान पर 2/3 में से 0.38 है0 रकबा दर्ज किया जाने की आज्ञा दी जाती है। तहसीलदार कोटकासिम मुताबिक निर्णय आलोच्य नामान्तकरण पर निर्णयानुसार अमल दरामद किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 1.4.16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह [illegible])
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0